

**राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 एवं संशोधन नियम 2020
कैटेगरी C (प्रवर्ग ग) हेतु विभाग वार वरीयता का आवेदन पत्र**

सेवामें,

प्रमुख शासन सचिव,
युवा मामले एवं खेल विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

- 1- अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) हिन्दी में
- 2- पिता/पति का नाम
- 3- (क) संपर्क टेलीफोन नं. (मय एसटीडी कोड)/मोबाईल नं.....
(ख) ई-मेल (यदि है तो)
- 4- मैरिट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से सम्बन्धित राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम व वर्ष
- खेल का नाम
- प्राप्त पदक स्वर्ण/रजत/कांस्य
- 5- राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 एवं संशोधन नियम 2020 में वर्णित अनुसूची-II में वर्णित पे-मेट्रिक्स लेवल L-10 के नीचे के एवं अनुसूची-III में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु आप संबंधित कॉलम में वरीयता का उल्लेख करें।

क्र. सं.	अनुसूची	सेवा का नाम	पद	वरियता अंकित करें
1.	III	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999	लिपिक ग्रेड-II	
2.	III	राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970	लिपिक ग्रेड-II	
3.	III	राजस्थान लोक सेवा आयोजन (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम और विनियम, 1999	लिपिक ग्रेड-II	
4.	II	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	वनपाल	
5.	II	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	वन रक्षक	
6.	II	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989	कस्टेबल	
7.	II	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976	सिपाही	
8.	II	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ (सामान्य शाखा) सेवा नियम, 1750	आबकारी रक्षक	
9.	II	राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	सहायक जेलर	
10.	II	राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	वार्डर	

नोट * संबंधित सेवाओं के सेवा नियमों के अनुसार अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

* आवेदन 02.02.2021 तक निम्न E-mail - rsscmonitoringcell@gmail.com पर या व्यक्तिगत रूप से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

मो.नं.....